पत्र संख्या : 7ब/2702–स्था०व्य०यो०–01–08/2019 ज०सं०...20...

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक 7/5/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना के विधि मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष **2702– लघु सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण/ 01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**6.140**

कुल आवंटित राशि – **रुपये छः लाख चौदह हजार मात्र**

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध ₹ 10523.49 लाख **(एक सौ पाँच करोड़ तेइस लाख उनचास)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

3/05/19.

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 7.5.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 80 राँची, दिनांक :– 7/5/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी**, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 7.5.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 80 राँची, दिनांक :– 7/5/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे) 3/05/19
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 7.5.19
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल

लघु शीर्ष–005 अन्वेषण/उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 20 दिनांक 7/5/19 का अनुलग्नक

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2019–2020		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50S270202005010101	50S270202005010110	50S2702020050 10112	50S270202005010213	50S270202005010315	50S2702020050 10316	50S2702020050 10323	50S2702020050 10333	50S270202005010334	50S270202005010337	50S270202005010442	50S270202005010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	लघु सिचाई प्रमंडल–हुसैनाबाद	पूर्व का आवंटन	152.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	152.800	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.140	6.140	
		कुल आवंटन	152.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	6.140	158.940	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.140	6.140	

नोट 1: लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद को विधिमद में अतिरिक्त राशि का आवंटन आरबिट्रेशन अपील सं०–8/2016 जेस्कान बिल्ड लिमिटेड बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में आरबिट्रेटर श्री डी०के०सिन्हा, माननीय सेवा निवृत्त न्यायाधीश तथा संबंधित अधिवक्ता के अनुमान्य शुल्क की राशि के भुगतान हेतु ।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये छः लाख चौदह हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे) 3/05/19.
विशेष सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 7.5.19
अपर मुख्य सचिव